

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, रायपुर
// आदेश //


रायपुर, दिनांक 12-2-2013

क्रमांक एफ 9-1/31/स्था./2012 :: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी.आर.चौरसिया, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 एवं अब विमान नियम, 2012 के तहत मुख्य अभियंता (प्रबोधन) के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा हले हो, तक की अवधि हेतु अस्थायी रूप से संविदा हले हो, तक की अवधि हेतु अस्थायी रूप से संविदा हरण विभाग में मुख्य अभियंता के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित होगा। संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. संविदा सेवा में एकमुश्त वेतन देय होगा और इसमें अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्त के समय प्राप्त सकल वेतन (सकल वेतन से तात्पर्य सेवानिवृत्त के समय प्राप्त मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्ता में से सकल पेंशन (सकल पेंशन से तात्पर्य प्राप्त पेंशन एवं उस पर देय राहत) की राशि कम की जाकर किया जावे।
3. संविदा वेतन उनके संविदा के पद के वेतनमान के अधिकतम (अधिकतम से 10 प्रतिशत ज्यादा) से अधिक नहीं होगा।
4. संविदा नियुक्ति के दौरान पेंशन तथा पेंशन पर राहत पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी।
5. यदि शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के समय शासकीय आवास गृह में रह रहे हैं तो संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान भी शासकीय आवास गृह की पात्रता होगी, जिसका किराया उसी दर से काटा जायेगा, जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व देय था।
6. संविदा पर नियुक्त अधिकारी के कार्य के मूल्यांकन में गोपनीय प्रतिवेदन लिया जावेगा।
7. शासकीय सेवक के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थायी कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी, जो सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व थी।
9. छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम-1985 लागू होगा।
10. संविदा नियुक्ति नियम, 2012 में प्रावधानित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।
11. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2004/1-3, दिनांक 19/07/2007 के अनुसार आदेश जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 663/सा.प्र.वि./कक्ष-3, दिनांक 23.11.2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
12. प्रकरण में वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 832/सी.न./बजट-2/चार 20013/1004316, दिनांक 30.01.2013 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2006/1/6, दिनांक 05.08.2006 में निर्दिष्ट अनुसार संविदा नियुक्त अधिकारी को उनके अधीनस्थ कार्य में शासकीय सेवकों के गोपनीय चरित्रावली में मतांकन करने का अधिकार नहीं होगा।
14. वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 97, दिनांक 17.04.2012 में उल्लेखित एवं वित्त निर्देश 11/2003 अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी को कोई वित्तीय अधिकार नहीं होगा।

2/ उपरोक्त संविदा नियुक्ति के फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-1/31/स्था./2013, दिनांक 04/02/2013, जिसमें श्री सेलेस्टिन खाखा, मुख्य अभियंता, बिलासपुर को स्थानांतरित कर, मुख्य अभियंता (प्रबोधन) के पद पर कार्यालय प्रमुख अभियंता, रायपुर में पदस्थ किया गया है, को परियोजना निदेशक, छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना, रायपुर (प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सी.आई.डी.पी.) ग प्रभार सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


12-2-2013
(राम मनोहर पाठक)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग